रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082023-248078
CG-DL-E-12082023-248078

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574] **नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 11, 2023/श्रावण 20, 1945**
No. 574] **NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 11, 2023/SHRAVANA 20, 1945**

पंजाब नैशनल बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

प्रधान कार्यालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2023

फा. सं. प्र.का. पेंशन/विविध/2023(अ).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब नैशनल बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात तथा केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन कर एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.** —(1) ये विनियम पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2023 कहलाएंगे।

(2) इन विनियमों में अन्यथा स्पष्टतया उपबंधित के सिवाय, ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पंजाब नैशनल बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में (इसके बाद उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित), विनियम 27 में, नोट के स्थान पर निम्नलिखित नोट को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"नोट 1: 1 नवंबर 2012 से, वेतनमान में स्थायी अंशकालिक कर्मचारी, जो पेंशन योजना द्वारा कवर किए गए हैं, के संबंध में पेंशन की राशि की गणना के उद्देश्य से, उनकी वास्तविक सेवा की गणना अर्हक सेवा के लिए की जाएगी न कि यथानुपात में।

नोट 2: वास्तविक सेवा या अर्हक सेवा की गणना वेतनमान में स्थायी अंशकालिक कर्मचारी के रूप में भर्ती या नियुक्ति की तिथि से या 1 सितंबर, 1978 से, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।"

3. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (ई) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

(एफ) "01 नवंबर, 2012 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी के अतिरिक्त, के संबंध में दो हजार सात सौ पचासी रुपए प्रति माह, 01 नवंबर, 2012 को या इसके पश्चात सेवानिवृत्त हुए अंशकालिक कर्मचारी के संबंध में, वेतनमान का एक तिहाई आहरित करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए नौ सौ बत्तीस रुपए प्रति माह, वेतनमान का आधा आहरित करने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के लिए एक हजार तीन सौ संतानवे रुपए प्रति माह तथा वेतनमान का तीन चौथाई आहरित करने वाले अंशकालिक कर्मचारी के लिए दो हजार छियानवे रुपए प्रति माह"

4. उक्त विनियमों के विनियम 40 में, —

(ए) उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (बी) में, प्रथम परंतुक के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"बशर्ते कि पुत्र अथवा पुत्री (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय परिवार पेंशन तब बंद कर दी जाएगी या अनुमत्य नहीं होगी जब पात्र पुत्र या पुत्री सरकारी रोजगार या निजी क्षेत्र या स्वरोजगार आदि से दस हजार रुपए प्रति माह से अधिक की राशि अर्जित करना शुरु कर देते हैं।" ;

(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात: -

"(सी) माता-पिता के मामले में, परिवार पेंशन बंद कर दी जाएगी या अनुमत्य नहीं होगी, यदि सरकारी रोजगार या निजी क्षेत्र या स्वरोजगार आदि से, माता-पिता में से किसी एक की आय अथवा माता-पिता दोनों की कुल आय दस हजार रुपए प्रति माह से अधिक हो जाती है।

(**बी**) उप-विनियम (4) में, -

(i) खंड (ए) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(vi) 1 नवंबर 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों के संबंध में, अधिकारियों और कामगारों दोनों के लिए, केवल अठारह हजार पांच सौ और अड़सठ रुपये प्रति माह ";

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(vi) 1 नवंबर 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों के संबंध में, अधिकारियों और कामगारों दोनों के लिए, केवल अठारह हजार पांच सौ और अड़सठ रुपये प्रति माह ";

(iii) खंड (सी) में, उप-खंड (v) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

"(vi) 1 नवंबर 2012 को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त या मृत हुए कर्मचारियों के संबंध में, अधिकारियों और कामगारों दोनों के लिए, केवल नौ हजार दो सौ और चौरासी रुपये प्रति माह";

5. उक्त विनियमों के परिशिष्ट II में, खंड (4) में, दूसरे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"बशर्ते कि 1 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संबंध में, श्रृंखला 1960 = 100 में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के तिमाही औसत में 4440 अंक के ऊपर, प्रत्येक 4 अंकों के लिए, प्रत्येक वृद्धि पर देय होगा तथा प्रत्येक गिरावट पर वसूली योग्य होगा, जैसा भी मामला हो, और ऐसे प्रत्येक 4 अंकों की महंगाई राहत में वृद्धि या गिरावट की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी।"

6. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(एफ) 1 नवंबर 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा कर्मचारियों (अधिकारी और कर्मचारी दोनों) के संबंध में:

वेतनमान प्रतिमाह	मासिक परिवार पेंशन की राशि
(1)	(2)
रु. 11,100 तक	वेतन का 30 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा भत्ते का अतिरिक्त 30 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 2785 प्रति माह से कम नहीं होगा।
रु. 11,101 से रु. 22,200 तक	वेतन का 20 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा भत्ते का अतिरिक्त 20 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 3422 प्रतिमाह से कम नहीं होगा।
रु. 22,200 से अधिक	वेतन का 15 प्रतिशत मूल परिवार पेंशन होगी तथा भत्ते का अतिरिक्त 15 प्रतिशत, जिसकी गणना भविष्य निधि में अंशदान के लिए की जाती है, परंतु महंगाई भत्ते के लिए नहीं, अतिरिक्त परिवार पेंशन होगी: बशर्ते कि मूल और अतिरिक्त परिवार पेंशन का योग रु. 4448 प्रति माह से कम नहीं और ₹9284 से अधिक नहीं होगा।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

उक्त विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, संयुक्त नोटों और निपटान के लिए सहमत नियमों व शर्तों के अनुसार, संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशेष अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तर पर कामगार संघों तथा अधिकारी संघों के बीच हस्ताक्षरित हैं। अत: इस तरह के पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सुमेश कुमार, महाप्रबंधक-मानव संसाधन विकास

[विज्ञापन III/4/असा./356/2023-24]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पीएनबी/आईआर/1/95, दिनांक 29 सितंबर, 1995 के माध्यम से प्रकाशित किए गये और बाद में भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था, अर्थात् :—

क्र०सं०	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तिथि	प्रकाशन की तिथि
1	-	15.2.1999	27.3.1999
2	एचआरडीडी/आईआर/बीएस-25(पी)	27.3.2002	8.4.2002
3	पेंशन/विविध/2002	23.12.2002	18.1.2003
4	पेंशन/विविध/2004	12.8.2004	28.8.2004
5	पेंशन/विविध/2009	7.6.2010	26.6.2010
6	पेंशन/विविध/2015	24.3.2015	2.5.2015
7	प्र०का०: पेंशन: विविध 2017	28.12.2017	27.1.2018

PUNJAB NATIONAL BANK

(HUMAN RESOURCES DEPARTMENT)

Head Office: New Delhi

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2023

F.No. HO:Pension/Misc/2023 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Punjab National Bank, after consultation with Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These regulations may be called the Punjab National Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2023.

(2) Save as otherwise expressly provided in these regulations, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Punjab National Bank (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 27, for the note, the following note shall be substituted, namely: —

"Note 1: With effect from 1st November 2012, for the purpose of calculating the amount of pension in respect of permanent part-time employees in scale wages who are covered by the Pension Scheme, their actual service shall be reckoned for qualifying service and not pro-rata.

Note 2: The actual service or qualifying service shall be calculated from the date of recruitment or appointment as permanent part-time employee in scale wages or from 1st September, 1978, whichever is later.".

3. In regulation 36 of the said regulations, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) rupees two thousand seven hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after 1st day of November 2012, rupees nine hundred and thirty-two per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees one thousand three hundred and ninety-seven per month in respect of part-time employee drawing ½ scale wages, and rupees two thousand and ninety-six per month in respect of a part-time employee drawing ¾ scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November 2012.".

4. In regulation 40 of the said regulations, —

(a) in sub-regulation (1), —

(i) in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely: —

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees ten thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment, etc.";

(ii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely: —

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or private sector or self-employment, etc. exceeds rupees ten thousand per month.";

(b) in sub-regulation (4), —

(i) in clause (a), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely: —

"(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.";

(ii) in clause (b), after sub-clause (v), the following sub-clause shall be inserted, namely: —

"(vi) eighteen thousand five hundred and sixty-eight rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.";

(iii) in clause (c), after the sub-clause (v), following sub-clause shall be inserted, namely: —

"(vi) nine thousand two hundred and eighty-four rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after 1st day of November 2012.".

5. In Appendix II to the said regulations, in clause (4), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

"Provided also that in respect of employees who retired on or after 1st day of November 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100 and such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension.".

6. In Appendix III to the said regulations, after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: —

"(f) In respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after 1st day of November 2012:

Scale of pay per month	Amount of monthly family pension
(1)	**(2)**
Upto Rs.11,100	30 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent. of allowances which are counted for making contribution to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.2785 per month.
Rs.11,101 to Rs. 22,200	20 per cent. of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.3422 per month.
Above Rs.22,200	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent. of allowances which are counted for making contributions to Provident Fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension: Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.4448 per month and maximum of Rs.9284 per month.".

Explanatory Memorandum

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlement and Joint Note signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

SUMESH KUMAR, (General Manager-HRD**)**

[ADVT.-III/4/Exty./356/2023-24]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide* notification number PNB/IR/1/95, dated the 29th September, 1995 and subsequently amended, *vide* the following notifications published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, namely: —

Sr. No.	Notification number	Date of notification	Date of publication
1	-	15.2.1999	27.3.1999
2	HRDD/IR/BS-25(P)	27.3.2002	8.4.2002
3	Pension/Misc/2002	23.12.2002	18.1.2003
4	Pension/Misc/2004	12.8.2004	28.8.2004
5	Pension/Misc/2009	7.6.2010	26.6.2010
6	Pension/Misc/2015	24.3.2015	2.5.2015
7	HO: PENSION: MISC 2017	28.12.2017	27.1.2018

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.08.12 16:25:53 +05'30'